c vnkyr uk;c rglhynkj ,o dk;ldkjh n.Mkf/kdkjh] mi&rglhy yxM]
ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

केस नं0 : 02/2025 तारीख पेशी : 25—04—2025

श्री नेक राम पुत्र लिहखु राम, गांव लगडू, डा0 लगडू, उप–तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
.. वादी।

बनाम

आम जनता गांव लगडू, डा0 लगडू, उप–तहसील लगडू, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत लगडू। .. प्रतिवादी।

विषय.——हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादी श्री नेक राम पुत्र लिहखु राम, गांव लगडू, डा0 लगडू, उप–तहसील लगडू, ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 04—06—1951 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण ग्राम पंचायत लगडू में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत लगडू को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 25—04—2025 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

c vnkyr rglhynkj ,o lgk;d lekgrkZ f}rh; Js.kh] ikyeiqj]
ftyk dkxMk ¼fg0 i0½

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 08—04—2025

पुष्पा कुमारी पुत्री अमर नाथ हाल पत्नी शंकर दास, निवासी वौदा लौहानटी (Bhoda Lohanti), हाल निवासी वार्ड नं0 2, पालमपुर, नियर आर्य समाज मंदिर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया पुष्पा कुमारी पुत्री अमर नाथ हाल पत्नी शंकर दास, निवासी वौदा लौहानटी (Bhoda Lohanti), हाल निवासी वार्ड नं0 2, पालमपुर, नियर आर्य समाज मंदिर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में पुष्पा लता है परन्तु जन्म प्रमाण–पत्र में पुष्पा कुमारी है, जोकि सही है। अब प्रार्थिया अपने नाम की दुरुस्ती करने उपरान्त सही नाम आधार कार्ड में दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08–04–2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————